

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प जीतावास

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जीतावास
व भू.अ.नि. रेलमगरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जीवाखेड़ा तहसील रेलमगरा
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 55 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	जीवाखेड़ा	55	1. माधु पुत्र दला 2/9 जाट 2. माधुलाल पुत्र दलीचन्द 1/24 जाट	1. माधवलाल पुत्र दला 2/9 जाट 2. माधवलाल पुत्र दलीचन्द 1/24 जाट

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा
दिनांक :- 29/9/25

क्रमांक :- 1/मपाव/2025/83
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री माधवलाल जाट को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा